

कार्यालय, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना

संचिका संख्या :- 01 नि0/कार्या.व्यव.(लेखन सामग्री निविदा)-02/15

दर निविदा आमंत्रण सूचना


निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के कार्यालय व्यवहार हेतु विभिन्न लेखन एवं अन्य सामग्रियों के वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आपूर्ति हेतु इच्छुक आपूर्तिकर्ता से अधोलिखित शर्तों के अधीन सीलबन्द दर निविदायें दिनांक 28.06.17 को अपराह्न 02.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से आमंत्रित की जाती है।

निविदा की शर्तें :-

1. निविदा के कवर पर फर्म का पूरा नाम, पता तथा दूरभाष/मोबाईल संख्या अंकित होना चाहिए।
2. दर निविदा के साथ निम्नांकित प्रमाण-पत्रों की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न होना चाहिए –
(क) वाणिज्य कर/वैट निबंधन प्रमाण पत्र
(ख) अद्यतन वाणिज्य कर/वैट स्वच्छता प्रमाण पत्र
(ग) पैन कार्ड
(घ) अद्यतन आय कर भुगतेय प्रमाण पत्र
(ङ) कार्यानुभव प्रमाण पत्र
3. इस निविदा में बिहार वाणिज्य कर में निबंधित इकाई ही भाग ले सकते हैं। बिहार के बाहर उन्हीं इकाई को भाग लेने की अनुमति होगी जिनके कारपोरेट कार्यालय/स्थानीय कार्यालय/एजेन्ट अथवा अधिकृत बिक्रेता बिहार वाणिज्य कर में निबंधित हों तथा उनके माध्यम से सामग्रियों की आपूर्ति की जा रही हो। इनके साथ ही प्रतिष्ठान को आय-कर/कर सफाया प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा।
4. अगर निविदादाता बिहार में स्थित लघु उद्योग इकाई है तो उन्हें इस संबंध में आवश्यक प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा अन्यथा बिहार सरकार द्वारा मान्य अग्रधन/प्रतिभूति की राशि में छूट/मूल्य अधिमान्यता का लाभ नहीं दिया जायेगा।
5. निविदादाताओं को निविदा के साथ अग्रधन के रूप में मो0 10,000/(दस हजार) रुपये का राष्ट्रीय बचत पत्र (बचनबद्ध (Pledge) कराया हुआ) अथवा बैंक ड्राफ्ट जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का पटना में भुगतेय हो, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पदनाम से जमा करना होगा।
6. निविदादाताओं का वार्षिक 10,00,000/(दस लाख) रुपये का टर्न ओवर होना अनिवार्य है तथा सरकारी विभागों में सामग्री आपूर्ति करने का अनुभव होना अनिवार्य है। इसका साक्ष्य भी निविदा के साथ समर्पित करना होगा।
7. किसी भी निविदादाता द्वारा पहले से जमा अग्रधन/प्रतिपूर्ति की राशि का सामंजन इस निविदा में नहीं किया जायेगा। पूर्व वार्षिक निविदा के लिए जिन प्रतिष्ठानों द्वारा प्रतिभूति की राशि जमा किया गया है, वे अपना प्रतिभूति की राशि वापस ले सकते हैं एवं वर्तमान निविदा में पुनः भाग ले सकते हैं।
8. आपूर्ति की गयी सामग्रियों की मान्य गुणवत्ता के जाँचोपरान्त ही विपत्र का भुगतान किया जायेगा। कम गुणवत्ता वाले सामग्री की आपूर्ति किये जाने पर राशि की कटौती/भुगतान नहीं की जा सकती




- है एवं संबंधित प्रतिष्ठान को काली सूची में रखते हुए कार्यालय द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
9. अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में सामग्रियों को पहुँचाने की जिम्मेदारी एवं पहुँचाने में हुए व्यय भार का वहन आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जायेगा।
 10. निविदा में सामग्रियों की अंकित दर की मान्यता क्रय आदेश की तिथि से अगले एक वर्ष के लिए होगी तथा फर्म/प्रतिष्ठान को स्वीकृत दर पर अगले एक वर्ष तक मांग के आधार पर सामग्रियों की आपूर्ति करनी होगी।
 11. बिक्री कर विभाग द्वारा श्रोत पर कटौती कर वाणिज्य कर विभाग में जमा किया जायेगा। फलतः बिक्री कर अपने निविदा में स्पष्ट उल्लेख कर दें।
 12. क्रय की जाने वाली सामग्रियों के साथ ब्रांड नाम/निर्माता का नाम के साथ दर अंकित किया जायेगा।
 13. किसी भी सामग्री के लिए अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।
 14. आवंटन अनुपलब्ध रहने की स्थिति में अथवा किसी अन्य परिस्थितिजन्य कारणवश विपत्र लंबित रहने की स्थिति में भी सामग्रियों की आपूर्ति निर्बाध रूप से करने की बाध्यता होगी।
 15. इस निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार का वैधानिक मामले पटना शहर स्थित न्यायालय में ही उठाया जा सकता है।
 16. प्राप्त निविदा दिनांक 28.06.17 को 04.00 बजे अपराहन में अध्यक्ष आन्तरिक क्रय समिति के कार्यालय कक्ष में खोली जायेगी जिसमें निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते हैं।
 17. किसी भी अथवा सभी निविदाओं को बिना कारण बताये रद्द करने का सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
 18. विशेष जानकारी एवं सामग्रियों की सूची विभाग की वेबसाईट www.cooperative.bih.nic.in पर उपलब्ध है।


उप निबंधक (न्यायः)
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना
